न्यायलय श्रीमान् राज स्व मण्डल ग्वालियर महोदय म0प्र0 ग्वालियर

प्र0,क्र R-1348-I/17 / छतरपुर सन

श्री योगेन्द्र सिंह कौशिक अधिवक्ता

द्वारा आज दि. 11-5-17 को

प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 11.5.17

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

रामसेवक तनय रामचरन लोधी

2. भगवानदास तनय परमलाल लोधी

3. मोहन तनय बलदन लोधी निवासगण

ग्राम वराज तहसील बडामलहरा जिला छतरपुर ---- निगरानीकर्ता

बनाम

मंगू तनय बोरा लोधी

2. हरवल तनय बोरा लोधी

3. लच्छीबाई पिता बोरा लोधी निवासीगण

पुरापटटी तहसील घुवारा जिला छतरपुर ------ उत्तरवादी/अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भ0रा0सहित

निगरानी विरूध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी

बडामलहरा के प्र0क0-88/अपील-15-16 मे पारित

आदेश दिनांक-1/5/17 से दुखित होकर

महोदय,

निगरानीकर्ता/आवेदक निम्न लिखित निगरानी प्रस्तुत करता है कि

1. यहकि अधिनस्थ न्यायालय मे उत्तरवादीगण द्वारा असत्य गल एवं दुर्भावना पूर्वक गलत आधारो पर तहसीलदार बडामलहरा के राजस्व प्र क्र0 64/अ-27/2006-07 मे पारित आदेश दिनांक-28/3/2007 के विरूध समय सीमा के बाहर अपील प्रस्तुत की थी जबकि तहसीलदार बडामलहरा के न्यायालय मे पानबाई पत्री गब्दू लोधी उपस्थित होती रही व पानब

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1348-एक/2017 जिला छतरपुर **रामसेवक** विरूद्ध मंगू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018 31.12.18	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बडामलहरा के प्रकरण क्रमांक 88/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 01-05-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 11-05-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता	

है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 31.12.18
सदस्य